उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या:–351/आठ–1–23–296/2023
लखनऊ : दिनांक28मार्च, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

रायबरेली, वाराणसी एवं मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण से संबंधित स्थानीय समस्याओं एवं मा0 जनप्रतिनिधियों के लम्बित प्रकरणों तथा विभिन्न समितियों के लम्बित मामले यथा–पी0ए0सी0 पैरा/स्थानीय लेखा–परीक्षा के पैरा आदि के संबंध में प्राधिकरण स्तर पर की जा रही कार्यवाही का परीक्षण कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है:–

क्र0 सं0	विकास प्राधिकरण	समिति के अध्यक्ष/सदस्य
1.	रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली	1. श्री राकेश कुमार मिश्र, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन–**अध्यक्ष** 2. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद–**सदस्य**
2.	वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी	1. श्रीमती अलका वर्मा, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन–**अध्यक्ष** 2. वित्त नियंत्रक, कानपुर विकास प्राधिकरण–**सदस्य**
3.	मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा	1. श्री सुनील कुमार सिंह, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन–**अध्यक्ष** 2. वित्त नियंत्रक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा–**सदस्य**

2– उक्त समिति अपने से संबंधित विकास प्राधिकरणों की स्थानीय समस्याओं एवं विभिन्न समितियों के लम्बित मामले यथा–पी0ए0सी0 पैरा/स्थानीय लेखा–परीक्षा के पैरा आदि के संबंध में प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करते हुए अपनी रिपोर्ट शासन को 10 दिवस में प्रस्तुत करेगी।

3– समिति द्वारा समीक्षा की तिथि निर्धारित करने पर संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा इसकी सूचना मा0 जनप्रतिनिधिगण को देते हुए उनसे समीक्षा में प्रतिभाग किये जाने का अनुरोध करेंगे।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. उपाध्यक्ष, रायबरेली/वाराणसी एवं मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण (रायबरेली/वाराणसी एवं मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण को छोड़कर), उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार जनसमस्याओं/पीएसी/आडिट प्रस्तर की समीक्षा स्वयं करते हुए 10 दिवसों में अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/कानपुर विकास प्राधिकरण/आगरा विकास प्राधिकरण।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

28.3.2023

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)

उप सचिव